संदर्भ सं. ओपी-2023-24-00005

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरी एवं चौथी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग

3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली

दिनांक: 17 जनवरी 2024

संचालन हेतु प्रतिष्ठित संगठनों से मुहरबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:

"भारतीय जैविक बाजार और निर्यात संवर्धन योजना का बाजार अध्ययन"

अध्ययन हेतु संदर्भ की शर्तें

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत का एक प्रमुख संगठन है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। यह बाज़ार विकास , गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणीकरण जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करके इन उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपीडा निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने का भी कार्य है और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अधिनियम , 1985, (1986 का 2) के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्राधिकरण को सौंपे गए हैं:

- निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास,
- अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण,
- निर्यात के प्रयोजन से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं को निर्धारित करना,
- उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना,
- अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन में सुधार,
- निर्यात-उन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना,
- साइट पर अनुसूचित उत्पादों के आंकड़ों का संग्रह और उसका प्रकाशन,
- उद्योगों के विभिन्न पक्षों में प्रशिक्षण, और
- यथा निर्धारित अन्य मामले।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एपीडा को 'विशेष उत्पादों' के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण का कार्य भी सौंपा गया है। वर्तमान में बासमती चावल ही एकमात्र विशेष उत्पाद है। एपीडा ने फरवरी 2016 में बासमती चावल के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है।

एपीडा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का सचिवालय भी है , जो जैविक उत्पादन के लिए प्रत्यायन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करता है। जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम गैर-एपीडा अनुसूचित उत्पादों सहित सभी कृषि कमोडिटी को कवर करता है। कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं और जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठा रहा है।

2. अध्ययन का उद्देश्य:

एपीडा की स्थापना के पीछे प्राथमिक तर्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े आर्थिक लाभों द्वारा संचालित भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है।

भारत की कृषि विरासत में हरित क्रांति से पूर्व की पारंपरिक प्रथाओं में नितांत रूप से शामिल जैविक खेती की एक दीर्घकालिक परंपरा शामिल है। ये स्थायी प्रथाएँ देश के कई हिस्सों में जारी हैं, जो इन पद्धति में निहित पुनरावर्तन को प्रदर्शित करती हैं। जैविक खेती के क्षेत्र में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर रहने वाला भारत जैविक खेती से जुड़े किसानों की संख्या के मामले में अग्रणी बना हुआ है।

स्वास्थ्यवर्धक, सुरक्षित, टिकाऊ और पौष्टिक भोजन की ओर वैश्विक उपभोग पैटर्न में शिफ्ट ने जैविक उत्पादों को सुर्खियों में ला दिया है। पुनरुत्थान भारत के लिए जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने और वैश्विक जैविक खाद्य बाजार में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत ने 2022-23 में अखिल विश्व के देशों को 708 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जैविक उत्पादों का निर्यात किया, और लगभग 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बाजार के आकार को देखते हुए , निकट अवधि में हमारे जैविक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की जबरदस्त गुंजाइश है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि और तर्क को देखते हुए, एपीडा निम्नलिखित सामग्रियों के साथ भारतीय जैविक निर्यात के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए मार्ग तलाशने और इनका उपयोग करने के लिए "भारतीय जैविक बाजार और निर्यात संवर्धन योजना" का बाजार अध्ययन करने हेतु इच्छुक है: -

क. भारत का जैविक बाज़ार:-

(i) भारत के जैविक बाजार के आकार का अनुमान (**खाद्य** अलग से),

(ii) घरेलू जैविक बाजार में वृद्धि के प्रवृत्ति और उत्पादों की श्रेणी और मूल्य प्राप्ति के संबंध में इसे वैश्विक जैविक बाजार की वृद्धि के साथ बेंचमार्क करना,

(iii) भारत के घरेलू जैविक बाजार की संरचना- पिछले 5 वर्षों में बड़े बदलाव (सभी श्रेणियों सहित , लेकिन **खाद्य** अलग से)

(iv) घरेलू बाजार में मांग का आकलन,

(v) आगामी 10 वर्षों में बाजार के आकार का विस्तार और इसे वैश्विक विकास अनुमानों के अनुरूप बेंचमार्क करना (**खाद्य** अलग से),

अध्ययन माध्यमिक और प्राथमिक डेटा पर आधारित होगा।
द्वितीयक डेटा स्रोतों में प्रतिष्ठित संगठनों की प्रकाशित रिपोर्ट और शोध पत्र शामिल होंगे।

प्राथमिक डेटा में 10 शहरों (मेट्रो , 'ए' और 'बी' श्रेणी के शहर) में 500 आउटलेट (जैविक/जैविक उत्पाद बेचने वाले) को कवर करने वाला सर्वेक्षण शामिल होगा।
मांग जैविक उत्पादों के उपभोक्ता सर्वेक्षण (न्यूनतम 1000 उपभोक्ता) पर आधारित होगी।

ख. भारत के प्रमुख निर्यात स्थल:

(i) पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से जैविक निर्यात में प्रवृत्ति,

(ii) निर्यात की संरचना - वर्तमान और विस्तारित (थोक और खुदरा उत्पादों का अनुपात , कच्चे, सामग्री, अर्ध-प्रसंस्कृत और तैयार उत्पादों का अनुपात)

(iii) संरचना में परिवर्तन के कारण,

(iv) संभावित निर्यात उत्पाद उदाहरण: प्रसंस्कृत मूल्य वर्धित उत्पाद, औषधीय पौधे आदि),

(v) वर्तमान निर्यात गंतव्य,

(vi) प्रीमियम कीमत और मांग के संबंध में रणनीतिक केंद्रित बाजार।

ग. भारतीय जैविक निर्यात का प्रचार और ब्रांडिंग:

(i) वर्तमान परिदृश्य- सरकारी और निजी क्षेत्र,

(ii) प्रमुख जैविक निर्यातकों (उदाहरण के लिए यू.एस.ए. , ई.यू., यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि) की जैविक निर्यात प्रोत्साहन पहल में सर्वोत्तम अभ्यास।

(iii) मांग के आधार पर प्रमुख सुपरमार्केट में खुदरा पैकेजिंग के लिए अर्थनीति,

(iv) बेटर इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड प्रमोशन के लिए खुदरा उत्पादों पर ध्यान केंद्रण,

(v) अन्य देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रज्ञता के बाद रणनीतिक योजना , लेकिन साथ ही भारतीय घरेलू संदर्भ को ध्यान में रखते हुए -

(क) मैक्रो नीतियां (कुल मिलाकर भारत के लिए)

(ख) माइक्रो (उत्पाद विशिष्ट/स्थान विशिष्ट)।

3. नियम एवं शर्तें

क.अनुमोदित बोलीदाता एपीडा के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करेगा । यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हैं।

ख.बोली मूल्य केवल भारतीय रुपये और सभी लागू करों में उद्धृत की जाएंगी।

ग. इच्छुक पात्र एजेंसियां अनुलग्नक-"I" के अनुसार अपनी बोलियां 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) सहित सहायक दस्तावेजों के साथ नई दिल्ली में एपीडा के पक्ष में देय मांग ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगी। वेंडर के चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।

घ. यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/कार्य पर रखे गए श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करे।

ङ. एजेंसी को बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। एपीडा के लिए अपेक्षित है कि इस अनुबंध के अंतर्गत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

च. यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी प्रतिस्पर्धा में या संबंधित अनुबंध को निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लगी हुई है , एपीडा कार्य सौंपने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

छ.एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता या निर्णय के विरुद्ध या भुगतने की संभावना के लिए क्षतिपूर्ति करेगी।

ज.स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।

झ.एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- कीमतें कम करने के लिए चयनित बोलीदाता के साथ कीमतों पर बातचीत करना।
- बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

- परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

4. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

बोली अनिवार्य रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए:

क. **मुहरबंद कवर 'A'**: तकनीकी बोली के ऊपर **"एपीडा के दिनांक 17/01/2024 के नोटिस के अनुसार भारतीय जैविक बाजार और निर्यात संवर्धन योजना के एपीडा के बाजार अध्ययन के लिए तकनीकी बोली"** लिखा जाए। तकनीकी बोली में दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, कार्य योजना, टीम संरचना, टीम के सदस्यों के विस्तृत सीवी और कार्यान्वयन कार्यक्रम का विवरण शामिल होना चाहिए।

- आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक-1)
- अनुक्रमिक क्रम में प्रत्येक पात्रता मानदंड के एवज में सहायक दस्तावेज़
- पिछले पांच वर्षों की बैलेंस शीट/खातों का लेखापरीक्षित विवरण**,** पी एंड एल खाता

ख. **मुहरबंद कवर 'B'**: वित्तीय बोली के ऊपर **"एपीडा के दिनांक 17/01/2024 के नोटिस के अनुसार भारतीय जैविक बाजार और निर्यात संवर्धन योजना के एपीडा के बाजार अध्ययन के लिए वित्तीय बोली"** लिखा जाए। वित्तीय बोली में कर , यदि कोई हो, सम्मिलित होना चाहिए। यदि वित्तीय बोली में कर निर्दिष्ट नहीं है , तो इसे कर सहित वित्तीय बोली माना जाएगा , जिसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

ग. **मुहरबंद मुख्य कवर:** दो मुहरबंद **कवर 'A'**और **'B'** एक अम्ब्रेला कवर में रखे जाएंगे, जिसके ऊपर **"एपीडा के दिनांक 17/01/2024 के नोटिस के तहत भारतीय जैविक बाजार और निर्यात संवर्धन योजना के एपीडा के बाजार अध्ययन के लिए तकनीकी बोली" लिखा हो।**

5. बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड

क) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण में **न्यूनतम 10** वर्षों के अनुभव के साथ भारत में निगमित एक पंजीकृत परामर्शदाता/सलाहकार व्यक्तिगत फर्म/संगठन।

दस्तावेजी साक्ष्य जैसे संशोधनों के साथ निगमन प्रमाणपत्र की स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य प्रतियां, यदि कोई हो; सेवा कर पंजीकरण; पैन नंबर जमा करना होगा (इन्हें पात्रता मानदंड संख्या 1 के अनुलग्नक के रूप में चिह्नित किया जाए)

ख) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत फर्म द्वारा कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में **पूर्ण किए गए** बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षणों की कुल संख्या पिछले **पांच** वर्षों में से प्रत्येक के दौरान **5** से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अध्ययनों के लिए कार्य आदेशों की सुपाठ्य प्रतियां आवेदन के साथ जमा की जाए।

पात्रता मानदंड 2 हेतु अनुलग्नक के रूप में चिह्नित नि म्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत किए जाएं:

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूणे अध्ययन की संख्या					
पूणे अध्ययन का मूल्य - रुपये (करोड़ में)					

वैयक्तिक फर्म के पास कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण से परामर्श शुल्क सहित पिछले **पांच** वर्षों के दौरान **न्यूनतम 5 करोड़ रु.** के परामर्श शुल्क से औसत टर्नओवर होनी चाहिए।

पात्रता मानदंड 3 हेतु अनुलग्नक के रूप में चिह्नित नि म्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत किए जाएं:

वर्ष	समग्र टर्नओवर (रु. करोड़ में)	परामर्श/सलाहकार शुल्क से टर्नओवर (रुपये करोड़ में)
2022-23		
2021-22		
2020-21		
2019-20		
2018-19		

क) अध्ययन के टीम लीडर के पास कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के साथ कृषि में न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। टीम लीडर को कम से कम दस अध्ययनों के साथ टीम लीडर के रूप में कम से कम पांच को संभालना चाहिए।

ख) टीम के अन्य सदस्यों के पास कम से कम कृषि में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

6. तकनीकी प्रस्तुति पश्चात बोलीदाताओं की योग्यता के लिए मानदंड

तकनीकी बोलियों/प्रस्तुतियों को इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित समिति द्वारा निम्नलिखित अंक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मानदंड</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सुझाई गई प्रस्तुति, दृष्टिकोण और प्रकार/तरीके</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुभव- तक (वर्ष)
<table><tr><td>3 वर्ष</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>4-5 वर्ष</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>6-10 वर्ष</td><td>4 अंक</td></tr><tr><td>10 वर्ष से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण के क्षेत्र में पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या।
<table><tr><td>3</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>4-5</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>6-10</td><td>4 अंक</td></tr><tr><td>10 से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कृषि/बागवानी/खाद्य/कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण से परामर्श शुल्क से औसत वार्षिक कारोबार।
(रु.करोड़ में)
<table><tr><td>5 करोड़ रु.</td><td>2 अंक</td></tr><tr><td>6-10 करोड़ रु.</td><td>3 अंक</td></tr><tr><td>10-20 करोड़ रु.</td><td>4 अंक</td></tr><tr><td>20 करोड़ रु. से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr></table></td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>40</td></tr>
</table>

7. वित्तीय बोलियों का भार

तकनीकी प्रस्तुति बनाम वित्तीय बोलियों का भार 70:30 के अनुपात में होगा।

8. मूल्यांकन

वित्तीय बोली के आधार पर अंक देने के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोली के अंक जोड़े जाएंगे और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को चयनित घोषित किया जाएगा।

नोट:- बोलीदाताओं के संघ को भी अनुमति है। हालाँकि, पात्रता मानदंड के संदर्भ में, केवल लीड फर्म के प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा।

9. बोली के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के लिए समय अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	समय अनुसूची
1	निविदा जारी करना	बुधवार, 17 जनवरी 2024
2	बोली-पूर्व बैठक	मंगलवार, 23 जनवरी 2024
3	बोली-पूर्व बैठक के आधार पर शुद्धिपत्र जारी करना, यदि कोई हो, (एपीडा की वेबसाइट पर)	बुधवार, 24 जनवरी 2024 (दिन के अंत तक)
4	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 8 फरवरी 2024 (शाम 5:00 बजे तक)
5	तकनीकी मूल्यांकन के लिए बोलियाँ खोलना	मंगलवार, 13 फरवरी 2024 सुबह 11:30 बजे
6	मूल्यांकन के लिए टीम लीडर द्वारा विषय पर लाइव प्रस्तुति	गुरुवार, 15 फरवरी 2024 सुबह 11:30 बजे
7	वित्तीय बोली खोलना	शुक्रवार, 16 फरवरी 2024 दोपहर 12:00 बजे
8	सर्वोच्च स्कोरर की घोषणा (सूचना ई-मेल से)	शुक्रवार, 16 फरवरी 2024

10. अपरिहार्य घटना

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा , सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित

नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11. विवाचन

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) उक्त को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

12. भुगतान की शर्तें

भुगतान की अनुसूची निम्नानुसार होगी:

क. असाइनमेंट सौंपते समय अग्रिम के रूप में कुल लागत का 35%

ख. ड्राफ्ट रिपोर्ट की तीन हार्ड कॉपी जमा करने पर कुल लागत का 35%

ग. एपीडा द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करने प्रस्तुत करने पर कुल लागत का शेष 30%

टिप्पणी:

क. चयनित एजेंसी को अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड और वैयक्तिक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

ख. ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी भी विलंब के लिए, एजेंसी पर प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए कुल शुल्क का 1% जुर्माना लगाया जा सकता है।

ग. एपीडा द्वारा भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसलिए , एजेंसी द्वारा आवेदन पत्र में ही आरटीजीएस विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13. कार्य-निष्पादकता आश्वासन

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

14. अध्ययन दस्तावेज़ जमा करने की समयसीमा

चयनित एजेंसी अध्ययन सौंपने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर अध्ययन पूरा करेगी, जिसके अंत में उन्हें संरचित दस्तावेज़ एपीडा को सौंपना होगा। इस अभ्यास के लिए अस्थायी समयसीमा निम्नानुसार दी गई है:

- सप्ताह 1: इनपुट और ब्रीफिंग के लिए एपीडा अधिकारियों के साथ बातचीत
- सप्ताह 4: पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत करना
- सप्ताह 6: दूसरा ड्राफ्ट प्रस्तुत करना और फीडबैक एकत्र करना
- सप्ताह 8: दस्तावेज़ को पूर्ण रूप से अंतिम रूप देना

चयनित एजेंसी को कार्य सौंपने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर ईमेल द्वारा सॉफ्ट कॉपी के साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट की तीन हार्ड प्रतियां एपीडा को जमा करनी होंगी। एजेंसी को दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई एक निर्दिष्ट तिथि पर ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अंतिम रिपोर्ट कार्य सौंपने की तारीख से लगभग 8 सप्ताह की अवधि के भीतर एपीडा को 5 हार्ड प्रतियों और ईमेल द्वारा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जाएगी।

15. बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि:

बोलियां एपीडा कार्यालय, नई दिल्ली में निर्धारित तिथि और समय पर जमा की जानी चाहिए। **इस समय और तारीख के बाद प्राप्त बोलियां पूरी तरह से खारिज कर दी जाएंगी।**

केवल निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन:
निर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में सूचना संबंधित बोलीदाताओं को उनके आवेदन में दर्शाई गई ईमेल आईडी पर ईमेल की जाएगी।

16. मामले में अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:

सचिव,
एपीडा
एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016

<u>अनुलग्नक-1</u>

आवेदन प्रारूप

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>ब्योरा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंसल्टेंसी फर्म का नाम (व्यक्तिगत/लीड)</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>2018-19</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td></tr>
<tr><td>पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पूर्ण किए गए अध्ययनों का मूल्य-करोड़ रुपये में</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पता</td><td>दूरभाष:
ई-मेल आईडी:</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि आवेदन कंसोर्टियम मोड के लिए है, तो कंसोर्टियम पार्टनर फर्म का विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वैयक्तिक/प्रमुख फर्म के मुख्य कार्यकारी का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण आयोजित करने का अनुभव</td><td>वर्षों की सं.:
निगमन प्रमाणपत्र:- सं.:
पैन सं.:
सेवा कर पंजीकरण सं.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्ण किए गए बाजार अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण का विवरण</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.</td><td>पिछले पांच वर्षों के दौरान वैयक्तिक/प्रमुख फर्म का टर्नओवर</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>समग्र टर्नओवर (करोड़ रुपये में)</th><th>केवल परामर्श/सलाहकार शुल्क से टर्नओवर (करोड़ रुपये)</th></tr>
<tr><td>2022-23</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>टीम लीडर का नाम और अनुभव</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>वैयक्तिक/प्रमुख फर्म की वित्तीय संख्या</td><td>
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td colspan="2">टर्नओवर- करोड़ रुपये में</td></tr>
<tr><td></td><td>समग्र</td><td>परामर्श शुल्क</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

दिनांक:

(कंपनी की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

finaltors issued for qatar study on 27.09.2016

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।